राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप-1)

कार्यालय सदस्य सचिव शुल्क रेगुलटरी कमेटी , राजस्थान , जयपुर

क्र. प. 1 (1)/ एम. ई. ग्रुप-1/2003/ दिनांक: 15/06/2019

आदेश

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडेमी आफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक: 14.8.2003 के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 14/06/2019 द्वारा विभिन्न पहलुओं के परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत निम्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु शुल्क संरचना निम्नानुसार अंतरिम रूप से निर्धारित की जाती है :

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम/कॉलेज का नाम	शुल्क (रुपयों में)/प्रति वर्ष /प्रति छात्र
1	एम.बी. बी. एस. (अनन्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज एण्ड रिसर्च सेंटर, राजसमंद, उदयपुर)	13,20,000/ (तेरह लाख बीस हज़ार मात्र)
2	एम.बी. बी. एस. (अमेरिकन इंटर्नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेज एण्ड रिसर्च सेंटर, , उदयपुर)	13,20,000/ (तेरह लाख बीस हज़ार मात्र)

2. यह शुल्क संरचना इस शर्त के अध्यधीन रहेगा कि अंतरिम शुल्क, शुल्क रेगुलेटरी कमेटी द्वारा अंतिम रूप से घटाया या बढ़ाया जा सकता है, उक्त संभाव्यता के आधार पर निजी कॉलेजो को बढ़ा हुआ अथवा घटा हुआ शुल्क लौटाने कि अनुमति दी जाती है। अत: निजी कॉलेज छात्रों से इस आशय का वचन पत्र निष्पादित करा सकेंगे।
3. अंतिम शुल्क निर्धारण हेतु कॉलेज द्वारा शुल्क रेगुलेटरी कमेटी को कमेटी द्वारा निर्धारित परिपत्र में अंकेक्षित बैलंस शीट छह माह के भीतर आवश्यक रूप से प्रेषित करनी होगी अन्यथा आगामी शैक्षणिक सत्रों (2020-21 एवं 2021-22) हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क (राशि रु. 12 लाख प्रति छात्र प्रति वर्ष) ही मान्य होगी ।
4. उपर्युक्त शुल्क के अलावा छात्रावास शुल्क पृथक से छात्रों से लिये जा सकेंगे।
5. मैस हेतु मासिक रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित की गयी राशि छात्रों से अंशदान के आधार पर ली जायेगी। छात्रावास के बिजली आपूर्ती के बिलों की राशि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों मे मध्य समान रूप से सम्विभाजित की जावेगी ।
6. कॉलेज में प्रवेश के समय एक ही बार कॉशन मनी ली जायेगी जो कोर्स पूरा करने पर वापस की जाएगी।
7. उक्त छात्रों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क वसूल किया जा सकेगा।
8. उक्त कालेज औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से उपरोक्त शुल्क के अलावा किसी भी तरह का शुल्क अथवा डोनेशन, विकास शुल्क, लैबोरेटरी शुल्क, अस्पताल शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क या अन्य किसी भी स्वरूप में कोई राशि छात्रों से वसूल नहीं करेंगे। कालेज यदि ऊपर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोइ शुल्क अथवा राशि वसूल करते हैं तो वह कैपिटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जायेगा एवम तदानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
9. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

Gera 15/6/19

(हेमंत कुमार गेरा)

(सदस्य सचिव, शुल्क निर्धारण कमेटी)

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्य पाल महोद्य, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार ।
3. निजी सहायक माननीय मंत्री चिकित्सा एवम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
4. माननीय जस्टिस एस.एन.भार्गव, अध्यक्ष 20/46 रेणु पथ, अम्बेडकर नगर, मानसरोवर, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार.
6. सदस्यगण शुल्क रेगुलेटरी कमेटी
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय , जयपुर
8. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा./ चिकित्सा शिक्षा)
9. रक्षित पत्रावली

(अतिरिक्त निदेशक, प्रशा.)